

आवश्यक सूचनाएँ

1. परीक्षार्थी का नाम, उसके मध्यमा प्रमाण-पत्र में जैसा है, वैसा ही लिखा जाना चाहिए ।
2. मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सही विवरण स्पष्ट रूप से देना चाहिए । ऐसा न देने पर परीक्षा-फल रोका जाएगा ।
3. आवेदन-पत्र, नियत शुल्क सहित जून 15/- दिसंबर 15 तक परीक्षा-विभाग को मिलना चाहिए ।
4. आवेदन पत्र विलंब शुल्क सहित जून 25/दिसम्बर 25 तक परीक्षा विभाग को मिलना चाहिए ।
5. छूट नियम (मध्यमा से)

1. एस.एस.एल.सी. या मेट्रिक या एस.एस.सी. परीक्षा में हिन्दी विषय लेकर उपस्थित छात्र;
2. केन्द्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या सी.बी.एस.सी. की आठवीं कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
3. सातवीं या आठवीं पब्लिक परीक्षा में प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
4. ऐ.एस.सी. या जूनियर केम्ब्रिज परीक्षाओं में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
5. किसी भी विश्वविद्यालय के उपाधिधारी, ओरियंटल टाइटिलधारी;
6. केन्द्र सरकार की प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
7. केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
8. हिन्दी माध्यम से चौथी कक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
9. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
10. नौवीं कक्षा में दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी विषय लेकर स्कूल में पढ़ रहे छात्र;

नोट :- Item No. 10 के लिए स्कूल के प्रधान अध्यापक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है कि वह छात्र नौवीं कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में स्कूल में हिन्दी लेकर अध्ययन कर रहा है ।

6. उपरोक्त नियम के अनुसार मध्यमा से छूट पाने लायक आवेदक को **आवश्यक प्रमाण-पत्र या अंक सूची की साक्षीकृत (Attested) प्रति इस परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ अवश्य जोड़ना है ।** छूट शुल्क के साथ आवेदन पत्र का दाम रु. 5/- भी भेजना ज़रूरी है । जिन आवेदकों को छूट नहीं दी गयी, उनका परीक्षा-फल रोका जाएगा और परीक्षा-फल के प्रकाशन से 45 दिनों के अंदर आवश्यक विवरण देकर परीक्षा-फल न छुड़ाने पर उनकी परीक्षा रद्द मानी जाएगी ।
7. परीक्षा-फल www.hindisabhatrichy.com पर प्रकाशित किया जाएगा ।
8. परीक्षा-फल के विषय में परीक्षा-विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा ।